न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 54/2021

1–मूलाराम पुत्र गोपाल राम जाति जाट निवासी बाकलिया तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर ।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–किसनाराम पुत्र गोपालराम

2–राजकुमार पुत्र गोपालराम,

3–छोटी पुत्री गोपालराम,

4–सन्तोष पुत्री गोपालराम, समस्त जाति जाट निवासीयान बाकलिया, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान

5–नायब तहसीलदार निम्बी जोधा, तहसील लाडनूं।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री रणजीत बलारा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार निम्बी जोधा के आदेश व निर्णय दिनांक 05.08.2021 बअनुवान तहसीलदार बनाम किसनाराम वगैरह मुकदमा संख्या 18/2021 को निरस्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक :03.02.2022

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 18/2021 बअनुवान नायब तहसीलदार बनाम किसनाराम वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाकलिया ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.2432 हैक्टेयर पर दिवार बनाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.2432 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाये गए। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.0688 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया तथा वार्षिक लगान दर का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 45/– अक्षरे पेन्तालीस रूपये कायम किया गया। पटवारी हल्का को अपीलान्ट/अप्रार्थी को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ति वसुली हेतु आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्टगण/अप्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 03.09.21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 03.09.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में तहसीलदार लाडनूं के पत्र कमांक :राजस्व/170 दिनांक 14.12.21 द्वारा प्राप्त हुई।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3} (1) –यह है कि लायक अदालत मातहत नायब तहसीलदार निम्बी जोधा ने बिना सभी अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व बिना किसी साक्ष्य व शहादत के बाला बाला ही निर्णय व आदेश पारित कर दिया, क्योंकि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

माननीय अधीनस्थ अदालत मातहत ने दिनांक 05.08.2021 को अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर उसी दिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर उसी दिन आदेश व निर्णय पारित कर दिया, जो आदेश व निर्णय प्रथम दृष्टया ही पास्त किया जाने योग्य है।

{3} (2) –यह है कि पटवारी हल्का बाकलिया की रिपोर्ट आधार पर नायब तहसीलदार निम्बी जोधा ने अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 के नाम से एक ही नोटिस सामलाती में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन नोटिस दिनांक 13.07.2021 को जारी किये गये, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 की तामिल कराये बिना ही उसकी तामिल मानकर सूचित होना मान लिया, जबकि कानूनन प्रत्येक अप्रार्थी की तामिल अलग अलग व समस्त अप्रार्थीगण की होनी जरूरी है। मात्र अपीलान्ट रामनिवास की तामिल मानकर भारी भूल की है। अतः अदालत मातहत का आदेश व निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है।

{3} (3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कार्यवाही की प्रथम तारीख दिनांक 28.07.2021 को ही बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 के जवाब के बिना ही व पटवारी हल्का को बयानों के लिये दिनांक 05.08.2021 की पेशी पर तलब किया लेकिन पटवारी हल्का ने दिनांक 04.08.2021 को ही फर्द मौका रिपोर्ट पेश कर दी, तथा पटवारी व आर आई के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज नहीं किये तथा पटवारी द्वारा फर्द मौका मं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 5 द्वारा तो किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का ही उल्लेख नहीं है। इस प्रकार की आधार ही रिपोर्ट को मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया, जो आदेश व निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। इस प्रकार की आधार ही रिपोर्ट को मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया, जो आदेश व निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है।

{3} (4) – यह है कि पटवारी रिपोर्ट में खसरा संख्या 406 रकबा 2.4554 हैक्टेयर में से 0.2432 हैक्टर रास्ते की भूमि पर पक्की दिवार निकालकर कब्जा करने का उल्लेख किया है, लेकिन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट व फर्द मौका में दिवार की लम्बाई चौड़ाई के नाप का उल्लेख नहीं किया है तथा रास्ते पर कितनी लम्बाई पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिक्रमण किया है, इसका भी उल्लेख नहीं किया है। तथा दिवार किस बिन्दु से किस बिन्दु तक दिवार निकालकर अतिक्रमण किया है, इसका भी उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि अपीलान्ट के खेत खसरा संख्या 385 व 421 के चार दिवारी बनी हुई है। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना किसी सुनवाई के व बिना साक्ष्य सबुत के दिनांक 05.08.2021 को अपीलान्ट व इनके वकील की अनुपस्थिति का हवाला ऑर्डर शीट में देकर आदेश व निर्णय पारित कर दिया। जो निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

{3} (5) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलान्ट मूलाराम का जवाब लेकर अन्य रेस्पोडेन्ट का जवाब साक्ष्य सबुत पेश करने का समय दिये बिना ही निर्णय पारीत कर दिया, जबकि अपीलान्ट मूलाराम ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मैने कोई सरकारी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि रास्ते के दानों और मेरी खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 385 व 421 की पश्चिमी सीमा पर चार दिवारी जानवरों की सुरक्षा के लिये आज से करीब 50–60 वर्ष पूर्व निकाली हुई है तथा अपीलान्ट के इस खेत के बीच से कटाणी रास्ते का गल्ती से राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है, जबकि इस जगह पर कभी भी रास्ता नहीं रहा और न वर्तमान में है। जबकि शुरू से लेकर आज तक रास्ता खसरा संख्या 385 की पश्चिमी सींव सींव बहता आया है। जो रास्ता मौके पर खुला है, तथा इसी रास्ते से आवामन आबाध रूप से चालू है तथा अप्रार्थीगण के इन खेतो में मूगं व बाजरा की फसल खड़ी है, अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि स्वयं पटवारी व नायब तहसीलदार निम्बी जोधा ने दिनांक 25.8.2021 को मौका देखकर रिपोर्ट बनायी है उससे भी होती है तथा इस खेती के मौसम में खड़ी फसलो को नष्ट कर अगर अपीलार्थी को बेदखल किया जाता है तो उसे अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं होगी। इन सभी तथ्यो की और ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारीत कर दिया जो अपास्त किया जाने योग्य है।

{3} (6) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की पालना में खेतो के खातेदारो की फसले नष्ट कर दी तो उनके बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जायेगी तथा उन्हे अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं होगी तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अभी काश्त का समय है, इस कारण योग्य लायक अदालत मातहत के आदेश व निर्णय पर रोक लगायी जाना जायज व कानून सम्मत है। इस गरीब अपीलान्ट की गरीब स्थिति व खड़ी फसल के बारे में अवलोकन कर फिलहाल काश्त को नष्ट कर रास्ता खुलाने के साथ कष्ट दायक आदेश व निर्णय देने में लायक अदालत मातहत ने भारी भुल की है। अतः आदेश व निर्णय खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार निम्बी खुर्द का आदेश व निर्णय दिनांक 05.8.2021 बअनुवान नायब तहसीलदार बनाम मूलाराम प्रकरण संख्या 18/2021 को निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

{4} – वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गयी है उक्त मुतनाजा भूमि पर अपीलान्ट/अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि रास्ते के दोनों और मेरी खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 385 व 421 की सीमा पर चारदीवारी जानवरों की सुरक्षा के लिये आज से करीब 50–60 वर्ष पर्व से निकाली हुई है तथा अप्रार्थीगण के इन दोनों खेतो के बीच से कटाणी रास्ते का गल्ती से राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है जबकि इस जगह पर कभी भी रास्ता नहीं रहा और न वर्तमान में है। जबकि शुरू से लेकर आज तक रास्ता खसरा संख्या 385 की पूर्वी सींव सींव बहता आया है जो रास्ता मौके पर खुला है, तथा इसी रास्ते से आवागमन आबाध रूप से चालू है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को न्याय निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त भूमि के संबंध में मौका कमीश्नर नियुक्त कर भौतिक स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक एवं न्याय संगत थी लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में बिना दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण किये उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं लिए है। अतः बिना नाप चौक के ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया वो अपास्त किये जाने योग्य है।

{ 5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्टगण ने यह अपील दिनांक 03.09.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2021 को किया गया तथा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2021 को पेश की गयी। अतः अपील समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत होने से अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी बाकलिया की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक निम्बी जोंधा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.2432 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उप0 हुए तथा अपीलान्ट/अप्रार्थी ने अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय को पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें भी अपीलान्ट/अप्रार्थी ने गै0मु0 रास्ते की भूमि को बन्द कर अपनी खातेदारी भूमि 385 मे से रास्ता दिया है यह बात अपीलान्ट ने अपने जवाब में लिखा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस अलग अलग नहीं देकर सामलाती एक ही नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलान्ट मूलाराम के ही तामिल के हस्ताक्षर है तथा अपीलान्ट ने अपने जवाब में कबूल किया है कि उसने बाकलिया के ख0न0 406 किस्म गै0 मु0 रास्ते की भूमि को बन्द किया हुआ है। उक्त प्रश्नगत राजकीय भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। मुतनाजा भूमि गै0 मु0 रास्ते की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति का हक अधिकार नहीं हो सकता। रास्ते की भूमि पर ग्रामिण अपने मवेशीयो को घर से खेत और खेत से घर लाने ले जाने के उपयोग में लाते है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही हैं। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: आदेश ::::

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)